भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
7वां तल, मयूर भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

परिपत्र

सं. आई.बी.बी.आई./आई.पी.ई./64/2024 **1 फरवरी, 2024**

सेवा में,
समस्त रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक
समस्त मान्यताप्राप्त दिवाला व्यावसायिक संस्थाएं
समस्त रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक एजेंसी
(रजिस्ट्रीकृत ईमेल पतों पर मेल द्वारा)

महोदय/महोदया

विषयः दिवाला व्यावसायिक संस्थाओं के विनियामक ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के लिए अध्युपाय

दिवाला समाधान प्रक्रियाओं की दक्षता में वृद्धि करने की दृष्टि से, सितम्बर, 2022 में, दिवाला व्यावसायिक संस्थाओं (आई.पी.ई.) को, जो कोई कंपनी, सीमित दायित्व भागीदारी, रजिस्ट्रीकृत भागीदारी फर्म हो सकती है, दिवाला व्यावसायिक(आई.पी.) के क्रियाकलाप करने के लिए अनुज्ञात किया गया था। इसकी परिकल्पना, उनके सांविधानिक ढांचे के आधार पर दिवाला पारिस्थितिकी-तंत्र में उनके संसाधनों और अनुभव का लाभ उठाने के लिए की गई थी । उक्त सुधार के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त समय प्रदान करने हेतु विद्यमान विनियमनकारी संरचना को **तद्रूप** रखा गया था । इस संशोधन से पूर्व, आई.पी.ई. को केवल आई.पी. को सहायक सेवाएं प्रदान करने की अनुज्ञा थी ।

2. हितधारकों से प्राप्त प्रतिपुष्टि(फीडबैक) और कार्यान्वयन के दौरान हुए अनुभवों के आधार पर, कुछ क्षेत्रों में स्पष्टता प्रदान करना अनिवार्य समझा गया है जिससे कि आई.पी.ई. के लिए विस्तारित भूमिका निभाना सुकर हो सके । इन मुद्दों और इनके संबंध में स्पष्टीकरणों को आगामी पैराग्राफों में विस्तृत रूप से बताया गया हैः

3.1 ऐसे आई.पी. की दशा में, जो एक आई.पी.ई. है, अनुशासनिक कार्यवाहियों के संबंध में स्पष्टीकरण

3.1.1. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016(आई.पी. विनियम), भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता (शिकायत और परिवाद निवारण प्रक्रिया) विनियम, 2017 और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता (जांच और अन्वेषण) विनियम. 2017 के साथ पठित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016(संहिता) के अध्याय 6 की धारा 217 से 220 में शिकायत, परिवाद निवारण और अनुशासनिक कार्यवाहियों की प्रक्रिया का उपबंध है । आई.पी. विनियमों में, आई.पी.ई. के रूप में मान्यता के लिए सतत पात्रता अपेक्षाओं, उसके दायित्व और मान्यता समाप्त करने के लिए भी उपबंध हैं ।

3.1.2. चूंकि आई.पी. के रूप में कार्य करने वाली आई.पी.ई. में, यथास्थिति, उसके भागीदारों या निदेशकों के रूप में अनेक व्यष्टि होंगे, इसलिए ऐसे किसी आई.पी. द्वारा, जो एक आई.पी.ई. है, किए जाने वाले नियतकार्य(असाइनमेंट) के संबंध में किसी उल्लंघन की दशा में अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने के संबंध में स्पष्ट किया गया है ।

3.1.3. **स्पष्टीकरणः** यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई असाइनमेंट ऐसे किसी आई.पी. द्वारा आरंभ किया जाता है, जो कि एक आई.पी.ई. है, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता (जांच और अन्वेषण) विनियम, 2017 के विनियम 11 के अधीन कारण बताओ सूचना निम्नलिखित को जारी की जाएगीः

(क) उसके यथास्थिति, ऐसे भागीदार या निदेशक को, जो एक आई.पी. है और जिसे संबंधित असाइनमेंट के लिए उसकी ओर से हस्ताक्षर करने और कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया था**;** और**/**या

(ख) आई.पी.ई. को, यदि बोर्ड की राय में, या तो आई.पी.ई. के एक या अधिक भागीदारों या निदेशकों के विरुद्ध उल्लंघन के बार-बार मामले आते हैं या ऐसी आई.पी.ई. की ओर से प्रणालीगत विफलता के उदारहण हैं ।

3.2 ऐसे आई.पी. को, जो एक आई.पी.ई. है, असाइनमेंट की संख्या के संबंध में सीमा लागू होने पर स्पष्टीकरण

3.2.1. आई. पी. विनियमों की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट आचार संहिता का खंड 22 ऐसे असाइनमेंट की संख्या के संबंध में निर्बंधन अधिरोपित करता है, जो कोई आई.पी. आरंभ कर सकता है । इस निर्बंधन की परिकल्पना ऐसे आई. पी. के लिए की गई है, जो व्यष्टि हैं ।

3.2.2. आई.पी.ई. को आई.पी. के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात करने वाले उबपंधों के प्रारंभ होने पर, ऐसे असाइनमेंट की संख्या पर कोई सीमा लागू करना विवेकपूर्ण नहीं समझा गया है, जो ऐसे आई.पी.ई. द्वारा इस नवजात प्रक्रम पर प्रारंभ किए जा सकेंगे ।

3.2.3. **स्पष्टीकरणः** यह स्पष्ट किया जाता है कि आई.पी. विनियमों की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट आचार संहिता का खंड 22 ऐसे किसी आई.पी. को लागू नहीं होता है, जो एक आई.पी.ई. है ।

3.3. ऐसे आई.पी. को, जो एक आई.पी.ई. है, फीस संरचना के लागू होने के संबंध में स्पष्टीकरण

3.3.1 भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम 2016(सी.आई.आर.पी. विनियम) के विनियम 34ख में किसी कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया(सी.आई.आर.पी.) में आई.पी. के लिए न्यूनतम नियत फीस संरचना और कार्य-निष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन फीस अनुबंधित की गई है । इस उपबंध की परिकल्पना ऐसे आई.पी. के लिए की गई है, जो व्यष्टि हैं ।

3.3.2 आई.पी.ई. को आई.पी. के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात करने वाले उबपंधों के प्रारंभ होने पर, यह विवेकपूर्ण समझा गया है कि आई.पी.ई. की एक विस्तारित भूमिका है और उनकी फीस इस प्रक्रम पर बाजार-अवधारित होनी चाहिए । इसके साथ-साथ, आई.पी.ई, उनके संस्थागत ढांचे को देखते हुए, किसी व्यष्टि आई.पी. के मुकाबले, उसके आंतरिक संसाधनों के पूल और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की विविध श्रृंखला के अनुकूल अपनी फीस के संबंध में बातचीत करने के लिए बेहतर स्थिति में है ।

3,3,3, **स्पष्टीकरणः** यह स्पष्ट किया जाता है कि सी.आई.आर.पी. विनियमों का विनियम 34ख ऐसे किसी आई.पी. को लागू नहीं होता है जो एक आई.पी.ई. है ।

4. यह परिपत्र, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 196 के उपबंधों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जा रहा है ।

भवदीय
हस्ता./
(बी. शंकरनारायणन्)
महाप्रबंधक
ईमेलः b.sankar@ibbi.gov.in